अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 / 0141-2926427 Email :- jsminority@rajasthan.gov.in & dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प.23(1)अल्प.वक्फ/2021/RF/01953 जयपुर दिनांक 24.12.2021

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा एवं कार्मिक विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांक 24.12.2021 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 एवं सेवा (संशोधन) नियम, 2020 के नियम 28, 30, 35, 38 एवं अनुसूची–1 के क्रम संख्याक 3 के अनुसरण में राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर) में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते है।

निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि (दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 9:30 बजे अथवा विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि) से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जे.एल.एन. मार्ग, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें:–

S. NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	REMARK
1.	320	824809	GAJENDRA GAUTAM	GE,RG	
2.	324	805067	SAGAR	BC,RG	Ag-GE
3.	344	803326	RAKHI SHARMA	GE,WE,RG	
4.	357	810369	NITESH JAIN	GE	
5.	367	809380	ABHISHEK SIDDHA	GE	
6.	373	808095	RAVI JHAJHARIA	GE	
7.	377	812826	KHUSHBU SHARMA	GE,WE	Ag-GE
8.	383	803168	AIZAZ AHMED	GE	
9.	390	818831	LALIT KUMAR	BC,NG,RG	Ag-GE-NG
10.	397	811840	KAPIL DEV SINGH	BC	
11.	400	815608	AKSHIT BISHNOI	BC	
12.	402	810758	SUKHMAN SINGH JAUHAL	BC	
13.	1112	803392	MEENA MANOJ KUMAR	ST	
14.	1136	824079	DIGVIJAY SINGH	ST,RG	
15.	1442	803083	SATYENDRA SINGH KARDAM	SC	
16.	1514	808996	RINKI ARYA	SC,WE	Ag-SC
17.	1834	813878	SEEMA KUMARI	GE,WE,WD,RG	

1. उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं

अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13682/2021 पतवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 फूलचन्द सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

2. उक्त नियुक्तियां समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।

3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013/पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV Rules no. 16) के अनुसरण में नियम पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगें।

5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 एवं सेवा (संशोधन) नियम, 2020 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।

7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी।

8. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वःविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा में एक दक्ष जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जे.एल.एन. मार्ग, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
13. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है उनकी नियुक्तियां सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है अथवा अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई जाती तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी। (प्रपत्र संलग्न)
15. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा (प्रपत्र संलग्न)।
16. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के सात दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान (निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जे.एल.एन. मार्ग, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर) पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होवें।
18. कार्यग्रहण करने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु डॉ. महमूद अली खान, अतिरिक्त निदेशक (मो. 9414303190) एवं श्री सुरेश कुमार, सहायक अनुभागाधिकारी, शासन सचियालय, जयपुर (मो. 8058510082) से संपर्क किया जाये।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

24.12.2021

(डॉ0 बी0 डी0 कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
9. संयुक्त सचिव (एसएके), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से बिन्दु संख्या 1-18 में उल्लेखित निर्देशों की पालना करवाते हुए आवश्यक दस्तावेज यथा बंध पत्र/शपथ-पत्र/स्वघोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें तथा निम्न बिन्दुओं की पालना/पूर्ति की जावे-
    (1) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संलग्न (Attestation form) में अंकित शेष स्थानों से चरित्र सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
    (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/दण्ड/राजीनामा/दोषमुक्त/एफ.आई.आर आदि का शपथ-पत्र में उल्लेख किया जाता है तो कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं दिनांक 26.10.2021 अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।
    (3) राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) हेतु प्रशिक्षण एच.सी.एम. रीपा, जयपुर द्वारा द्वितीय चरण में आयोजित कराया जायेगा तब तक चयनित अभ्यर्थियों को विभाग में कार्यग्रहण करवाकर निदेशालय स्तर से संस्थानिक प्रशिक्षण/अटैचमेंट पूर्ण करवाये जावें एवं विभागीय कर्तव्यों के निर्वहन में इनकी सेवायें ली जाये।
    (4) सभी अभ्यर्थियों से कोविड प्रोटोकॉल के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
    (5) नियुक्ति संबंधी समस्त प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर सभी अभ्यर्थियों की मूल निजी पत्रावलियां एवं सेवा पुस्तिकाऐं इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. सचिव, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर।
17. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
18. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएफडीसीसी, जयपुर।
19. अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान राज्य हज कमेटी, जयपुर।
20. अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान वक्फ विकास परिषद, जयपुर।
21. संबंधित अधिकारीगण।
22. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. महानिदेशक, एचसीएम, रीपा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

24-12-2021

संयुक्त शासन सचिव

—::घोषणा पत्र::—

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी..

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ है। मैं निम्न प्रकार से घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या................थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क.स.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या................है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क.स.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता

::–शपथ पत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी..

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।

शपथग्रहिता

::–सत्यापन::–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

::–वचनबन्ध प्रपत्र::–

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..............................

निवासी...

वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।

वचनबद्धकर्ता